

राजस्व एवं भूमि सुधार

अधिसूचना

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा-महराजगंज, थाना नं०-84 चादर नं०-2 परगना- भागलपुर, जिला- बाँका में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् देवघर से सुल्तानगंज (खण्ड बाँका से सुल्तानगंज) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण के लिए रेलवे विभाग, भारत सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए इनके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त मौजा के भीतर जमीन का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 15.134 एकड़ होता है जिसका खेसरा सं० निम्नांकित हैं।

अर्जनाधीन खेसरा सं० - अंश 506, 922, 923, 925, पूर्ण 926, अंश 927, 929, पूर्ण 930, अंश 931, 933, पूर्ण 934, 935, 936, 937अंश, 938, 943, 944, 1074, 1095, 1097, 1098, 1111, 1127, 1108

चौहद्दी निम्नप्रकार है:-

उत्तर:- मि०चा०नं०-1, 506, मि०चा०नं०-1, 922, 925, 925, 926, 929, 929, 934, 931, 931, 931, 931, 933, 933, 933, 1111, 1111, 1195, 1095, 1072, 923, 1111

दक्षिण :- 922, 925, 929, 929, 929, 929, 931, 931, 937, 938, 933, 938, 937, 1049, 938अंश, 943अंश, 938, 1111, 1097, 1095, 1095, 1095, 1127, अंश 1111

पुरब:- 922, 923, 923अंश, 923, 925, 926, 930, 1127, 1127, 935, 935, 936, 937, 1127, 937, 938, 933, 1074अंश, 1095अंश, 1097अंश, 1098अंश, 1111अंश, 1127अंश, 1108अंश


पश्चिम:- 506अंश, 922अंश, 925, 925अंश, 927, 927अंश, 929अंश, 929, 931अंश, 933अंश, 933, 934, 935, 938, 938अंश, 938, 944अंश, 1074अंश, 1095अंश, 1097अंश, 1095, 1111अंश, 931, 1111

यह अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम 1,1894 यथा संशोधित XXXVIII 1923 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।


भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बाँका के कार्यालय, में देखा जा सकता है।

बिहार के राज्यपाल, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बाँका के कर्मचारी तथा परियोजना से संबंधित आरंभिक अनुसंधान में तत्समय लगे रेलवे विभाग के कर्मचारी तथा पदाधिकारियों को भूमि पर जाने और सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2 में उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्यों के समूचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य के लिए, प्राधिकृत करते हैं।


चूँकि बिहार के राज्यपाल की राय है कि उक्त रैयती भूमि 15.134 एकड़ है और उसका शीघ्र अर्जन आवश्यक है। अतः अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के अधीन निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 के उपबंध भूमि पर लागू नहीं होंगे।



जिला भू-अर्जन पदाधिकारी  
बाँका



अपर समाहर्ता,  
बाँका



समाहर्ता,  
बाँका

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

रा-

सरकार के उच्च सचिव  
राजस्व एवं भूमि सुधार  
विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-31.1.9/रा० दिनांक-31-12-12

- प्रतिलिपि :- 1. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की तीन प्रतियों सहित दो दैनिक समाचार पत्रों जिसमें एक स्थानीय भाषा में ही प्रकाशनार्थ प्रेषित।  
2. प्रभारी उपसमाहर्ता, जिला गजट बाँका को बाँका जिला के अगले गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।  
3. समाहर्ता, बाँका को सूचनार्थ प्रेषित।  
4. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बाँका को सूचनार्थ प्रेषित।  
5. अंचल अधिकारी, अमरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।  
6. उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पूर्व रेलवे, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के उच्च सचिव  
राजस्व एवं भूमि सुधार  
विभाग, बिहार, पटना